न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 198/2024

1. ओमप्रकाश उम्र 69 वर्ष पुत्र मनफुल जाति मेघवाल साकिन सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

–प्रार्थी

बनाम

1. हनुमान पुत्र मनफुल जाति मेघवाल साकिन सुरांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

2. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जगजीत सिंह रमाणा — प्रार्थी
2. श्री तरसेम सिंह सिद्धू — अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28/03/2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री जगजीत सिंह रमाणा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पंजीकृत व प्रमाणित पता वहीं है जो प्रार्थना पत्र के शिर्षक में निवेदित है। यह कि मिन प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड तहसील पीलीबंगा में चक 41 एल एल डब्लयू के खाता सं. 220 के प.नं. 13/242 के मु.नं. 66 के किला नं. 10/2/0.221, 11, 20, 21, की कुल 0.980 हैक. नहरी दर्ज रिकार्ड खातेदारी है जो प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 सलग्नं प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड तहसील पीलीबंगा के चक 41 एल एल डब्लयू के खाता सं. 189 के प.नं. 13/241 के मु.नं. 65 के किला नं. 21/1/0.190 नहरी व प.नं. 13/242 के मु.नं. 66 के किला नं. 1/1/0.228, 1/2/0.025, 10/1/0.032, व प.नं. 14/243 के मु.नं. 69 के किला नं. 10 ता 12, की कुल 1.234 नहरी गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है व राजस्व रिकार्ड के अनुसार कब्जा काश्त है। जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 सलंग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि मिन प्रार्थी के नाम प्रार्थनां पत्र की दफा 2 में वर्णित चक 41 एल एल डब्लयू के प.नं. 13/242 के किला नं. 10/2/0.221, 11, 20, 21 कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में खुद कृषि का कार्य करता है इस पत्थर नं. 13रू242 के किला नं. 1 ता 5 में गैर मु. रास्ता प्रत्येक बीघे में 0.025 हैक. व 0.025 हैक. दर्ज रिकार्ड है मिन प्रार्थी किला नं. 1 ता 5 में दर्ज व चालु रास्ते से आता हुआ अपनी कृषि भूमि में आने जाने व पहुंचने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के मु.नं. 13/242 के किला नं. 1/1/0.228, व किला नं. 10/1/0.032 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण [illegible] 0.013 हैक. की लम्बाई में से अपनी कृषि भूमि में मिन प्रार्थी आना जाना करता है इसी [illegible] का के उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम चक 41 [illegible] 242 के किला नं. 1 में 0.013 हैक. व किला नं. 10/1 में 0.005 हैक. [illegible] दिशा में उत्तर से दक्षिण [illegible] रास्ते से मिन प्रार्थी आना जाना करता है इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करता [illegible] रास्ते के अलावा मिन प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि [illegible] आने जाने के लिए अन्य [illegible] वैकल्पिक व सुगम व नजदीक रास्ता नहीं है। मिन प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के नाम प.नं. 13/242 के किला नं. 1 व किला नं. 10/1 की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण में से ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

आता जाता है व कई वर्षो से आने जाने हेतु इन बीघा में बने रास्ते का उपयोग व उपभोग व आना जाना व अनवरत रूप से करता आ रहा हूं लेकिन अप्रार्थी सं. 1 यदा कदा जब फसल बुवाई के समय रास्ते को अवरूद्ध करने चेष्ठा करता है तो मिन प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है जिससे प्रार्थी को बिना मन्जूर करवाए रास्ते से आने जाने में दिक्कते व पेचीदिगयां पैदा हो जाती है। जिससे मिन प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतू और कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने कारण मिन प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है इस कारण मिन प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 के चक 41 एल एल डबलयू के प. नं. 13/242 के किला नं. 1 में 0.013 हैव. व किला नं. 10/1 में 0.005 हैक. रास्ता इन बीघा के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 को भू–धारक जिसके द्वारा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन दर्ज करना जिस कारण अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शूल्क पर अंदर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी, अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी सं. 1 के चक 41 एल एल डबलयू प.नं. 13/242 के किला नं. 1 में 0.013 हैव. व किला नं. 10/1 में 0.005 हैव. रास्ता इन बीघा के पश्चिम दिशा में उतर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता स्वीकृत करवाने व राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री तरसेम सिंह अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और से प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। जवाब अप्रार्थी संख्या 1 निम्न प्रकार से है यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 को सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन असत्य व मिथ्या होने से अस्वीकार है। मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता चालू नही रहा है व ना ही प्रार्थी मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से होता हुआ अपनी कृषि भूमि में आवागमन करता है। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना जाना करता है। प्रार्थी मिन अप्रार्थी को तंग परेशान करने के लिये उक्त अनवान का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी किसी प्रकार का रास्ता मिन अप्रार्थी की कृषि भूमि में से स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज का निवेदन किया गया है।

तहसीलदार पीलीबंगा से प्रकरण में पत्रांक 94 दिनांक 19.02.25 से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पीलीबंगा अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। मौके पर फसल सरसों काश्त हैं। प्रार्थी के द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि से सम्बन्धित समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि को पूर्व में कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। ई प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

बहस अधिववत उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए चाहे गए रास्ता को तह[illegible] स्वीकृत हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वा[illegible] आज दिनांक तक प्राथी कहां से आवागमन करता है अन्य रास्ता उपलब्ध है। बहस पर मनन [illegible] पत्रावली का अवलोकन के बाद तहसीलदार रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया गया। हमारे [illegible]म् द्वारा मौका निरिक्षण किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस लिए स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार – प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा उस भूमि को पूर्व में कोई

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा कम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं लगता है। ई प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए स्वीकृत किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि अप्रार्थी सं. 1 के चक 41 एल एल डबल्यू. ए म. 13/242 के किला नं. 1 में 0.013 हैक्ट. व किला नं. 10/1 में 0.005 हैक्ट. रास्ता इन कीला के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। तहसीलदार पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से रास्ता की एवज में डीएलसी की दुगुनी राशि खजाना राज में जमा करवाया जाकर मुताबिक आदेश रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 28/3/25 सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:19:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner